

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 394/2025

Dr. Murugesh Manjunatha S/o G. Manjunatha

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kushagra Sharma, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

09/10/2025

यद्यपि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 व 3 को नोटिस जारी किये जाने के साथ-साथ एक अतिरिक्त प्रति विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिये जाने तथा उनका नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित किये जाने का आदेश दिया गया था।

इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. सिविल पिटीशन नंबर 461/2023 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम पवन कुमार गोयल व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:-

"We find that when the contempt petitions come up for hearing, the State counsel appear for State. At that stage, advance notice for contemnor cannot be taken by the State counsel. In case, the State counsel are instructed, after service of notice, to appear on behalf of contemnor, then alone the State counsel may appear."

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की तामील हेतु पी.एफ., नोटिस आदि पेश होने पर नये सिरे से नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण छः सप्ताह बाद पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J